भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 114
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों को वित्तीय सहायता

***114. श्री डी. एम. कथीर आनंदः**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में किसानों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार बढ़ते कर्ज और फसल के नुकसान के कारण किसानों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों से अवगत है जिसके कारण वे आत्महत्या कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा किसानों के संकट को कम करने और उनके जीवन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"किसानों को वित्तीय सहायता" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ श्री डी. एम. कथीर आनंद द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 114 के भाग (क) से (ग) का उललिखित विवरण।

(क) से (ग): कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रमों का उदेश्य उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों का कल्याण करना है। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) वर्ष 2016 में एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, ताकि किसानों को फसलों के लिए बुआई के पहले से लेकर कटाई के उपरांत तक सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के एवज में व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित किया जा सके और पर्याप्त दावा राशि प्रदान की जा सके। यह स्कीम मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है। बीमित किसानों के आवेदनों की संख्या के आधार पर, यह विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा स्कीम है।

किसानों की समग्र आय बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र में लाभकारी लाभ दिलाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई कुछ प्रमुख स्कीमों/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

अनुबंध

क्र. सं.	स्कीम का नाम	उद्देश्य
	केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम	
1.	पीएम किसान सम्मान निधि	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को वर्ष 2019 में छोटे भू-जोत किसानों की आय बढ़ाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत किसानों को तीन बराबर किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये दिए जाते हैं। अब तक 18 किस्तों के माध्यम से पात्र किसानों को 3.46 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि संवितरित की जा चुकी है।
2.	एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)	एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, ब्याज छूट और ऋण गारंटी सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है। स्कीम के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट के साथ 1 लाख करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्रदान किए जाएंगे और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सीजीटीएमएसई के तहत ऋण गारंटी कवरेज दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक इकाई विभिन्न एलजीडी कोड में स्थित 25 परियोजनाओं तक स्कीम का लाभ पाने के लिए पात्र है।
3.	नए 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन	भारत सरकार ने वर्ष 2020 में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्र स्कीम (सीएसएस) शुरू की थी। इस स्कीम का कुल बजटीय परिव्यय 6865 करोड़ रुपये है। एफपीओ का गठन और संवर्धन, कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से किया जाना है, जो एफपीओ को गठित करने और उन्हें पेशेवर सहायता प्रदान करने हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठनों (सीबीबीओ) को नियोजित करते हैं।
4.	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम आशा)	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्कीम किसानों की उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करती है और मजबूरन बिक्री को रोकती है। इसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रणाली को मजबूत करना और किसानों को बेहतर मूल्य समर्थन प्रदान करना है।
	<u>केंद्र प्रायोजित स्कीमें</u>: **(क)** कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्लू) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और कृषोन्नति योजना (केवाई) नामक दो प्रमुख स्कीमों को क्रियान्वित करता है। आरकेवीवाई का उद्देश्य सतत कृषि को बढ़ावा देना है, जबकि केवाई का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा और कृषि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। आरकेवीवाई और केवाई के घटक इस प्रकार हैं:	
<u>राष्ट्रीय कृषि विकास योजना</u>: i. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आधारित स्कीम (आरकेवीवाई-डीपीआर)		

ii. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचएफ)
iii. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
iv. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
v. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी),
vi. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
vii. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
viii. कृषि वानिकी

<u>कृषोन्नति योजना</u>

i. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
ii. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम
iii. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)- ऑयल सीड
iv. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
v. समेकित कृषि विपणन स्कीम (आईएसएएम)
vi. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
vii. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
viii. डिजिटल कृषि

	(**ख**) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन	भारत सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्टैंडअलोन केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में देश भर में मिशन मोड में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) का शुभारंभ किया है।

*****